राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/24/ 373 दिनांक: 8/1/2025

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका नैनवा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैं:–

क्र.स.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रांम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	बूंदी	नैनवा	राजस्व ग्रांम नैनवॉ, दललेपुरा, रालड़ी, खानपुरा, टोपा उर्फ नयागांव, छोटी पडाप, रजलावता, बडी पडाप **(जनंसख्या–7,048) जनगणना 2011** के अनुसार ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमारपाल गौतम)
आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(ब.घों.)(सीमावृद्वि)डीएलबी / 24 / 374-400 दिनांकः 8/1/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव / उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव / आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगरपालिका नैनवा में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच / सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त कोटा।
10. जिला कलेक्टर बून्दी को भेजकर निवेदन है कि नगरपालिका नैनवा की सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावें एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच / उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कराया जावे।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर / पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. वित्तीय सलाहकार / समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर राजस्थान।
15. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नैनवा जिला बून्दी।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच / उपसरपंच / सचिव, एंव वार्ड पंच संबंधित राजस्व ग्राम नैनवॉ, दललेपुरा, रालडी, खानपुरा, टोपा उर्फ नयागांव, छोटी पडाप, रजलावता, बडी पडाप जिला बून्दी । द्वारा [illegible]
18. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव